संख्या- 10/2020/450/नौ-7-2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2020

विषयः नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये पात्र व्यक्तियों के भोजन हेतु आम रसोईघरों के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय जनपदों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-165/एक-10-2020-33(221)/2011 टी0सी0-2 दिनांक 01-04-2020 एवं शासनादेश संख्या-173/एक-10-2020-33(221)/2011 टी0सी0-2 दिनांक 07-04-2020 में नागर निकायों में सामुदायिक रसोईघर संचालित करने/ धनावंटन के संबंध में स्पष्ट निर्देश न होने से आपदा राहत मद से जनपद स्तर पर निकायों को रसोईघर संचालित करने के लिये कोई धनावंटन नहीं किया गया है। बिना धनावंटन के ही कतिपय जनपदों के नगर निकायों में सामुदायिक रसोईघर संचालित है।

2- आप अवगत है कि राजस्व विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 01-04-2020 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये जनपदों में संचालित हो रहे अस्थायी आश्रय स्थलों, आम रसोई घरों व अन्य स्थान पर पात्र व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार भोजन सामग्री/भोजन/फूड पैकेट वितरण किये जाने हेतु रू0 215.00 करोड़ की धनराशि अग्रिम रूप से जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद में स्थित किसी नागर निकाय द्वारा अपने निकाय में संचालित किये जा रहे सामुदायिक रसोईघरों के संचालन हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 01-04-2020 एवं 07-04-2020 के अधीन आपदा राहत के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से धनराशि की मॉग की जाती है तो उससे संबंधित समस्त पहलुओं पर विचार करते हुये संबंधित स्थानीय निकाय को सामुदायिक रसोई घर के संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

यह आदेश राजस्व विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः-

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।

3 समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

4 समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।